कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (म. प्र.)

E-mail-dcou.tseh-mp@nic.in, Contact No. 07562-292221, Fax 225698

//निविदा आमंत्रण सूचना//

–:निविदा फार्म:–

प्रथम पक्ष : निविदाकर्ता का नाम --

मोबाईल नंबर ----------------------------

किस स्थान पर वाहन स्टेण्ड का संचालन करना चाहते है। सीहोर

द्वितीय पक्षः जिला रजिस्ट्रार,

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर

जिला न्यायालय परिसर सीहोर स्थित वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति, संस्थाओं से निम्न निर्धारित शर्तो के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

1 वाहन स्टेण्ड हेतु बतौर सुरक्षा निधि रूपये 10000/–..की एफडीआर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर के नाम से न्यूनतम 01 वर्ष की अवधि हेतु एफडीआर आबंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी। जो निविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।

2 वाहन स्टेण्ड हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि की न्यूनतम दर रूपये 10000/–प्रतिमाह होगी

जिस निविदाकर्ता द्वारा Bid मे अधिकतम मासिक प्रीमियम शुल्क मे निविदा अंकित किया जावेगा उसकी निविदा स्वीकृत की जावेगी।

3 निविदा फार्म के साथ रूपये 500/–.का निविदा शुल्क के रूप मे प्रधान जिला न्यायाधीश सीहोर के नाम से जमा करनी होगी, जो कि निविदा स्वीकृत न होने की दशा में वापसी योग्य नही होगी।

4 वाहन स्टेण्ड संचालन की अनुज्ञा एक वर्ष के लिये दी जाएगी और प्राप्त निविदाओं मे से निविदाकर्ता की साख, कार्यानुभव व आचरण पर विचार करते हुए निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जाएगी, इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर का निर्णय अंतिम होगा।

5 वाहन स्टेण्ड का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी/गुमास्ता अधिकारी (नगर पालिक परिषद) से नियमानुसार कराया जाना आवश्यक होगा।

6 मासिक प्रीमियम राशि लगातार तीन माह तक जमा न किये जाने की दशा में तथा निर्धारित पार्किंग शुल्क से अधिक शुल्क लिये जाने की दशा में सुरक्षा निधि की राशि जप्त कर ठेका तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।

7 वाहन स्टेण्ड संचालन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नही करेंगें, जिससे

कि शासकीय सम्पत्ति व न्यायालय की गरिमा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित हो अथवा निविदा की शर्त का उल्लंघन हो।

8 वाहन स्टेण्ड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में प्रातः 10.00 से सायं 6.30 बजे तक किया जावेगा। साथ ही समय समय पर प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही किया जाएगा।

9 वाहन स्टेण्ड संचालन के दौरान उन्हे आबंटित स्थान मे किसी भी प्रकार का निर्माण/संरचना नही करेंगें।

10 वाहन स्टेण्ड संचालन में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन मे आवश्यक है, पूर्व मे प्रधान जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगें, जो शासकीय सम्पत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो।

11 वाहन स्टेण्ड हेतु आबंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगें तथा किसी कार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या आडियो सिस्टम का उपयोग नही करेंगें।

12 वाहन स्टेण्ड हेतु आबंटित स्थान को सफल निविदाकर्ता स्वयं संचालित करेगा, किसी अन्य को आबंटित नही करेगा। वाहन हेतु आबंटित स्थान पर वाहन सुव्यवस्थित रूप से रखेगें ताकि पक्षकारों एवं वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो।

13 साइकिल/स्कूटर/दो पहिया /चार पहिया वाहन का पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगाः–

1. साइकिल – रू. 2/– प्रतिदिन (प्रातः 10.00 से सायं 6.30 बजे)
2. दो पहिया वाहन – रू. 5/– प्रतिदिन (प्रातः 10.00 से सायं 6.30 बजे)
3 चार पहिया वाहन– रू. 10/–प्रतिदिन (प्रातः 10.00 से सायं 6.30 बजे)

14 वाहन के चोरी चले जाने या नष्ट कर दिए जाने की दशा में ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

15 निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग शुल्क सूची (कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त) आम जनता को पढ़ने हेतु लगाई जावेगी एवं निर्धारित दर पर ही आम जनता से पार्किंग शुल्क लिया जावे। अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

16 निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत टेण्डर अवधि के दौरान बीच मे ही कार्य बन्द करने या छोड़ने की दशा में सम्पूर्ण सुरक्षा निधि की राशि जप्त कर ली जाएगी।

17 वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कम से कम 2 कर्मचारी संचालक नियोजित करना होगा। नियोजित कर्मचारियों की सूची प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित कराई जावेगी। कर्मचारियों को संचालक पहचान–पत्र जारी करेगा, जो कर्मचारी द्वारा पार्किंग स्टेण्ड संचालन अवधि में धारित किये रहेंगें। नियोजित कर्मचारी किसी प्रकार का नशा न करते हो, यह निविदाकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

18 वाहन स्टेण्ड संचालन की अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के बाद भी नई अनुज्ञा प्रदान किये जाने की कार्यवाही तक अधिकतम 03 माह तक उसी प्रीमियम राशि पर वर्तमान वाहन स्टेण्ड संचालक को वाहन स्टेण्ड का सचांलन करना होगा।

19 निविदा अवधि एक वर्ष की होगी। निविदाकर्ता का कार्य संतोषप्रद पाये जाने की दशा में निविदाकर्ता के आवेदन पर समिति द्वारा संविदा की अवधि उसी दर या नवीनीकृत बढ़ी हुई दर पर 01 वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी।

20 निविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक नही पाए जाने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा बिना किसी सूचना के निविदा/अनुबंध समाप्त किए जाने का अधिकार होगा।

21 वाहन स्टेण्ड के संचालन हेतु निविदा फार्म रूपये 500/– दिनांक 25.03.2023 को 5.00 बजे तक पूर्ण रूप से भरकर सुरक्षा निधि के बैंक ड्राफ्ट के साथ नजारत अनुभाग सीहोर में जमा करना होगा। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा तथा निविदा फार्म नजारत अनुभाग सीहोर से प्राप्त कर सकेगें।

22 जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे 03 दिन के अंदर निविदा की शर्तो की पूर्ति करते हुए निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा। जिसका वहन निविदाकर्ता द्वारा किया जावेगा। साथ ही अनुमति दिए जाने उपरांत 15 दिवस में कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा उनकी सुरक्षा निधि जप्त कर ली जावेगी।

23 सफल निविदाकर्ता को वाहन स्टेण्ड हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान निविदा प्रारंभ होते ही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर के हक में एक माह की प्रीमियम राशि तत्काल प्रस्तुत करनी होगी। आगामी निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान प्रत्येक त्रेमास मे 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जमा करनी होगी। निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि मे लाइसेंस फीस की राशि जमा न करने की स्थिति मे अनुबंध समाप्त पार्किंग स्टेण्ड का कब्जा बिना किसी सूचना के प्राप्त कर लिया जावेगा।

24 निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय प्रारूप–ए पर निविदा की दरें उल्लेखित की जावेगी। साथ ही उक्त दर पर ट्रांसपरेट टेप चस्पा किया जाना होगा।

25 ठेका कार्य के संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद का निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा। समिति के निर्णय के विरूद्ध किसी आपत्ति का अंतिम निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर द्वारा किया जावेगा तथा उनका निर्णय अंतिम व सभी पक्षों पर बंधनकारी रहेगा।

26 प्रधान जिला न्यायाधीश सीहोर को यह अधिकार होगा कि स्टेण्ड संचालन हेतु दिया गया लाइसेंस किसी भी समय बिना कारण बताये, बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दे और उस दशा मे ऐसे आबंटितों को जिला न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट अवधि में वाहन स्टेण्ड का संचालन अविलम्ब बंद करना होगा अन्यथा प्रधान जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वाहन स्टेण्ड संचालन को बंद कराकर आबंटित स्थान रिक्त करा ले। इस संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश का निर्णय अंतिम और आबद्धकारी होगा।

27 न्यायालयीन कर्मचारियों को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा परिचय–पत्र प्रदान किया जावेगा तथा उनके द्वारा परिचय पत्र दिखाये जाने पर उनसे पार्किंग शुल्क नही लिया जावेगा।

28 अधिवक्तागण को अभिभाषक संघ सीहोर द्वारा परिचय–पत्र प्रदान किया जावेगा। अधिवक्तागण द्वारा परिचय–पत्र दिखाये जाने पर उनसे पार्किंग शुल्क नही लिया जावेगा।

29 कर्मचारीगण उनके वाहन कर्मचारियों हेतु निर्मित पार्किंग स्टेण्ड मे रखेंगें। अधिवक्तागण अपने वाहन अधिवक्ताओं हेतु आरक्षित पार्किंग स्थल पर रखेंगें।

30 निर्धारित समयावधि के उपरांत निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

31 निविदाकर्ता द्वारा किसी भी स्थिति में निर्धारित दरों से अधिक वाहन पार्किंग शुल्क नही लिया जावेगा। आमजन को वाहन पार्किंग किये जाने के संबंध में प्रिंटेड रसीद प्रदान करना होगा जिस पर वाहन पार्किंग का शुल्क वाहन क्रमांक अंकित करना आवश्यक होगा।

32 निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन करने पर उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि जप्त कर ली जावेगी अथवा उसमें पेनेल्टी स्वरूप युक्तियुक्त रकम काटी जावेगी।

33 निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग स्टेण्ड मे आने व जाने वाले वाहनों का रिकार्ड रखने हेतु पृथक से रजिस्टर संधारित किया जावेगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा या उनके अधिकृत न्यायिक अधिकारी/प्रमुख द्वारा उक्त रजिस्टर का निरीक्षण किये जाने पर निविदाकर्ता द्वारा निविदाकर्ता द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

35 नगरपालिका सीहोर अथवा अन्य कर जो पार्किंग स्टेण्ड संचालन हेतु दिया जाना है, का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जावेगा।

36 निविदाकर्ता द्वारा पार्किंग स्टेण्ड का संचालन कर्मचारियों हेतु निर्मित पार्किंग स्टेंड मे नही किया जावेगा।

37 निविदाकर्ता द्वारा निविदा की शर्तो के अर्न्तगत एनेक्सर ए में वांछित दस्तावेज बैंक ड्राफ्ट/एडीआर सलंग्न न किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नही किया जावेगा। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25.03.2023 होगी तथा प्राप्त निविदाएं दिनांक 27.03.2023 को सायं 5.00 बजे छानबीन समिति द्वारा निविदाकर्ताओं की उपस्थिति मे खोली जावेगी।

<u>मध्यस्थताः-</u>

निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध मे उल्लेखित शर्तो के अनुसार कर्मचारियेां के कार्य की गुणवत्ता अथवा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, दावा, अधिकार, बात या बात के रूप में किसी भी तरह से अनुबंध, अनुमान, निर्देश, आदेश या इस शर्तो अथवा कार्य निष्पादन की विफलता में होने वाले सभी बिन्दुओं को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जा सकेगा।

वास्ते/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीहोर (म. प्र.)

जिला मुख्यालय सीहोर में वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु निविदा की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला मुख्यालय सीहोर में स्थित वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किया जाना है। वाहन स्टेण्ड किराया राशि न्यूनतम 10,000/- रूपये मात्र प्रतिमाह है।

निविदा शर्तो के संबंध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक 25.03.2023 के शाम 05.00 बजे तक निविदा निर्धारित शुल्क जमा कर जिला नाजिर, नजारत अनुविभाग, सीहोर से प्राप्त कर सकते है।

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय एवं अभिभाषक संघ सीहोर के नोटिस बोर्ड एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।

प्रभारी अधिकारी
नजारत अनुविभाग, जिला न्यायालय
सीहोर (म. प्र.)